

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2021

अनवान :-

1. अनिल सैनी पुत्र प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
2. मनोज कुमार सैनी पुत्र प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
3. संगीता पुत्री प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
4. सरिता सैनी पुत्री प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
5. सुमन पुत्री प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 61/63 की कुल 1.5050हैक एवं चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 66/64 की कुल 1.4160हैक रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 35/36 की कुल 1.2650हैक एवं चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 45/44 की कुल 6.3250हैक मे से 3099/12650 हिस्सा एवं चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 76/51 की कुल 2.0240हैक में से 3251/404800हिस्सा व चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 96/1 की कुल 3.5420हैक में से 1/14 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 82/82 की कुल 2.7830हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा कुम्भाराम पुत्र लेखुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा श्योनन्दराम वल्द पैमाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा कुम्भाराम पुत्र लेखुराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 अपने बाहमी

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कुम्भाराम पुत्र लेखुराम के देहानत होने एवं उसके पिता कुम्भाराम पुत्र लेखुराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646, न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है। अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 61/63 की कुल 1.5050 हैक एवं चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 66/64 की कुल 1.4160 हैक रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 35/36 की कुल 1.2650 हैक एवं चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 45/44 की कुल 6.3250 हैक मे से 3099/12650 हिस्सा एवं चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 76/51 की कुल 2.0240 हैक में से 3251/404800 हिस्सा व चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 96/1 की कुल 3.5420 हैक में से 1/14 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 82/82 की कुल 2.7830 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा कुम्भाराम पुत्र लेखुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा कुम्भाराम पुत्र लेखुराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के

सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 61/63 की कुल 1.5050हैक एवं रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 35/36 के प0न0 309/433(46) के किला न0 19 ,22/0.5060हैक एवं रोह मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 45/44 की कुल 6.3250हैक मे से 3099/12650हैक एवं रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 76/51 की कुल 2.0240हैक में से सयुक्त तौर से 3251/404800हिस्सा व रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 96/1 की 3.5420हैक में 1/14 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 के रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 66/64 की कुल 1.4160हैक एवं रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 35/36 के प0न0 309/433(46) किला न0 11 ,20 ,21 /0.7590हैक व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 82/82 की कुल 2.7830हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....चक सरदारपुरा..

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अनिल सैनी पुत्र प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. मनोज कुमार सैनी पुत्र प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. संगीता पुत्री प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. सरिता सैनी पुत्री प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री प्रेम कुमार जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या

सन 2021 निर्णय दिनांक- 20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 61/63 की कुल 1.5050हैक एवं रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 35/36 के प0न0 309/433(46) के किला न0 19 ,22/0.5060हैक एवं रोह मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 45/44 की कुल 6. 3250हैक में से 3099/12650हैक एवं रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 76/51 की कुल 2.0240हैक में से सयुक्त तौर से 3251/404800हिस्सा व रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 96/1 की 3.5420हैक में 1/14 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा।प्रतिवादी संख्या 2 के रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 66/64 की कुल 1.4160हैक एवं रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 35/36 के प0न0 309/433(46) किला न0 11 ,20 ,21 /0.7590हैक व रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 82/82 की कुल 2.7830हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....चक सरादरपुरा